

अजमेर को 29 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों की सौगात मिली

अजमेर, (कांस)। पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा की अनुशंसा से जिले को 29 उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों की सौगात मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में होगी स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़

राशि व्यय होगी। इस प्रकार इन पर कुल 118.9 लाख रूपए का खर्च आएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जिले के किशनगढ़ में पालडी, कड़ा, दाणी पुरीहासन, सिरौज, बालपुरा, देवरिया एवं संडोलिया, भिनाय में देवरियाकला एवं पाण्डोलाई, केकड़ी में भाण्डावास, कोहरा, मोरी का झोंपड़ा एवं एकलसिंगा, मसूदा में केरोट, सोबडी एवं लामगारा, पुष्कर में तबीजी, कायड, खाजपुरा, होशियारा, बड़ागांव, मानपुरा की ढाणी एवं कानस, अजमेर दक्षिण में

किरानीपुरा, सावर में बाढ़ का झोंपड़ा एवं गोपालपुरा गोरधा तथा सरवाड में भाटोलाव, गोपालपुरा एवं कसाना के उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र भवन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्माण किए जाएंगे। इनमें मरीजों को देखने के लिए ओपीडी रूम, महिलाओं के संस्थानगत प्रसव के लिए लेबर रूम तथा दवां एवं अन्य सामग्री के भण्डारण के लिए स्टोर रूम बनाए जाएंगे। इसके साथ-साथ उप स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त एएनएम के लिए निवास बनाए जाने के लिए भी प्रावधान है। एएनएम के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पर

ही रूकने से ग्रामीणों को 24 घण्टे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाएगी।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन उप स्वास्थ्य केंद्रों की अनुशंसा की गई थी। इन केंद्रों के भवन निर्मित होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। ग्रामीणों को सामान्य बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाएगा। एएनएम के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के लिए टीकाकरण एवं उपचार की सुविधा घर के नजदीक ही मिलने से उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा।

सरवाड में कोरोना की दस्तक

सरवाड, (निर्स)। शुक्रवार एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई कोरोना पॉजिटिव आने से शहर में हड़कंप मच गया। वही अधिकारी लगातार शहर वासियों को जागरूक कर रहे हैं मगर फिर भी लापरवाही के चलते एक मामला सामने आया है।

मसूदा, (निर्स)। शुक्रवार को ग्राम पंचायत नाडी एवं लुलवा में पंचायत समिति मसूदा प्रधान मीन कंवर सुरेंद्र सिंह राठी ने मौसम की बेरुखी व कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधान राठी ने जरूरतमंद परिवार को कंबल व मास्क वितरण किए गए। राठौर ने

कंबल व मास्क वितरण किए

फरीद मोहम्मद, अल्लाह नूर सफी, मोहम्मद सुगना झुमरी, गंगा, रुकमा राजिया, महिंद्र ट्रेलर, महेंद्र पाल सिंह, शंकर सिंह, लिपिक नंद सिंह, तकनीक पुष्प सिंह, गोविंद सिंह भाटी समस्त वार्ड पंच एवं ग्रामीण कंबल वितरण कार्यक्रम में मौजूद रहे।

पुराने पशु चिकित्सालय परिसर में पार्किंग शुरू करने की मांग

अजमेर, (कांस)। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से मुलाकात कर नया बाजार में पुराने पशु चिकित्सालय परिसर में पार्किंग सुविधा जल्द शुरू कराने और कोटड़ा स्थित विवेकानन्द स्मृति वन में स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणादायी ध्यानस्थ अथवा आदमकद प्रतिमा शीघ्र लगवाने का आग्रह किया है।
देवनानी ने कलेक्टर से मुलाकात में कहा कि नया बाजार से पशु चिकित्सालय को शांती नगर स्थित नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित किया जा चुका है। नए भवन का निर्माण कार्य पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में शुरू हुआ था और तब ही पशु चिकित्सालय को उसमें स्थानांतरित करने का निर्णय किया गया था। अब चूंकि पशु चिकित्सालय नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है, तो नया बाजार स्थित पुराने पशु चिकित्सालय भवन के परिसर का उपयोग पार्किंग के लिए जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नया बाजार शहर का व्यस्त क्षेत्र है। पृथ्वीराज मार्ग पर गांधी भवन चौराहे से लेकर आगरा गेट तक एलिक्ट्रेड रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जिससे कई बार पृथ्वीराज मार्ग

विधायक देवनानी ने कलेक्टर से की मुलाकात, नया बाजार में यातायात की समस्या से अवगत कराया

रोजाना दिन में कई बार जाम हो जाता है यातायात

प्रधिकरण में से कौन करेगा। जब तक यह निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक इस परिसर में निशुल्क पार्किंग व्यवस्था शीघ्र शुरू की जानी चाहिए, ताकि नागरिकों को यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सके। जिला कलेक्टर से संबंधित अधिकारियों से बात कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने का भरोसा दिलाया है।

देवनानी ने कोटड़ा स्थित विवेकानन्द स्मृति वन में स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती से पहले लगवाने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विवेकानन्द स्मृति वन का निर्माण कराया गया है। इसमें स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा लगाने का भी प्रावधान है। अजमेर विकास प्राधिकरण प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पहले ही ले चुका है। इसलिए यह कहना कठई उचित नहीं है कि प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि या तो 12 जनवरी तक प्रतिमा लगाई जाए या जल्द से जल्द प्रतिमा लगवाने का निर्णय 12 जनवरी तक हर हाल में किया जाए।

कार्यालय नगर परिषद, मकराना नागौर (राज.)

Email-npmakrana@gmail.com फोन:- 01588-240107, फैक्स 241380

कमांक :- नपम/भूमि/2021-22/3923 दिनांक:- 07.01.2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आवेदकों द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021" के तहत परिषद में निम्न रूप में उल्लेखित प्रयोजनार्थ के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। परिषद द्वारा आवेदित प्रयोजनार्थ के तहत परिषद का निस्तरण किया जाना है। निम्न प्रकरणों में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो लिखित रूप में आपत्ति मय दस्तावेजों के विज्ञापित के बाद की जाने की तिथि से 07 दिवस में कार्यालय समय में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के सम्मक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि समाप्त के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी।

क्र.सं.	आवेदक खातेदार का नाम /पिता का नाम व पता	प्रयोजन	पट्टा/खसरा संख्या	क्षेत्रफल	पड़ोस
1	चन्द्रकुमार पुत्र लक्ष्मणसिंह निवासी काशीनगर, बोरावड़ मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 256	244.44 वर्गगज	पूर्व :- बाबूलाल माली का प्लॉट उत्तर :- रास्ता दक्षिण :- कमलेश सिंह का प्लॉट
2	विनोद कुमार, रतनलाल पुत्र सीताराम दर्जी निवासी भाखरों की डाणी, मकराना	69-क आवासीय	खसरा नं. 74	51.64 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- रमेश का मकान उत्तर :- रास्ता दक्षिण :- राजेन्द्र का मकान
3	शोभाराम पुत्र डगलाराम निवासी शास्त्री कॉलोनी, गणपति नगर बोरावड़ मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 150	251.38 वर्गगज	पूर्व :- विकास का प्लॉट पश्चिम:- तेलियों का जाय उत्तर :- रामूराम का प्लॉट दक्षिण :- रास्ता
4	रामूराम पुत्र डगलाराम निवासी शास्त्री कॉलोनी, गणपति नगर, बोरावड़ मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 150	276.09 वर्गगज	पूर्व :- विकास का प्लॉट पश्चिम:- तेलियों का जाय उत्तर :- रास्ता दक्षिण :- शोभाराम का प्लॉट
5	रेखा पत्नी राजूराम गिवायरीया निवासी बालाजी मंदिर के पास भाटीपुरा, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 803/771	268.89 वर्गगज	पूर्व :- मोहनलाल माली का मकान पश्चिम:- सैयाजी की भूमि उत्तर :- नाथूजी का मकान दक्षिण :-रास्ता
6	प्रकाश तंवर पुत्र नारायण तंवर लक्ष्मी पत्नी नारायणराम निवासी भाटीपुरा, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 804/771	268.89 वर्गगज	पूर्व :- जगदीश का मकान पश्चिम:- रंयं का रास्ता उत्तर :- रास्ता दक्षिण :- गणेशजी का मकान
7	अणुदाम पुत्र दुर्गाराम, निवासी भाटीपुरा, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 738/1	372.00 वर्गगज	पूर्व :- आन रास्ता पश्चिम:- भंवरजी का मकान उत्तर :- चुन्नीलाल भाटी का मकान दक्षिण :- रास्ता
8	गणेश तंवर पुत्र नारायण तंवर, लक्ष्मी पत्नी नारायणराम निवासी भाटीपुरा, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 804/771	136.79 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- रंयं का रास्ता उत्तर :- प्रकाश का मकान दक्षिण :- सोहन व आरूजी की जमीन
9	योगिता पत्नी सुरेश कुमार निवासी जयशिव चौक मकराना	69-क वाणिज्यक	वार्ड नं. 11	60.66 वर्गगज	पूर्व :- जयशिव चौक पश्चिम:- महेंद्र कुमार का मकान उत्तर :-रास्ता दक्षिण :- सुरेश कुमार योगी का मकान
10	सुरेश कुमार पुत्र शिवजी रामनाथ निवासी जयशिव चौक मकराना	69-क आवासीय	वार्ड नं. 11	75.33 वर्गगज	पूर्व :- जयशिव चौक पश्चिम:- महेंद्र कुमार का मकान उत्तर :- योगिता योगी की दुकान दक्षिण :- इन्दु पंवार का मकान
11	वहीदन पत्नी मोहम्मद इस्माईल चौहान निवासी इमाम चौक गौडवास वार्ड नं. 13 मकराना	69-क मिश्रित	वार्ड नं. 13	35.29 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- अब्दुल जवार का मकान उत्तर :- अब्दुल जवार का मकान दक्षिण :- रास्ता
12	पवन कुमार, विमल कुमार पुत्र मनोहर लाल गिवायरीया, निवासी भाटीपुरा, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 804/771	261.43 वर्गगज	पूर्व :- तुलसीदा का मकान पश्चिम:- जोदू का मकान उत्तर :- रास्ता व अशोक का मकान दक्षिण :- माली का मकान
13	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सीताराम दर्जी निवासी भाखरों की डाणी, मकराना	69-क आवासीय	खसरा नं. 74	85.37 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- रमेश दर्जी का मकान उत्तर :- रतनजी का मकान दक्षिण :- जयराम भाकर का मकान
14	मदनलाल पुत्र नन्दाराम मेघवाल निवासी करपुरवा गांधी विद्यालय के पास, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 796	123.33 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- फतुजाट का प्लॉट उत्तर :- सुभाष मेघवाल का प्लॉट दक्षिण :- बाबू गिवायरीया का मकान
15	राजेन्द्र कुमार पुत्र शंकरराम निवासी हनुमानजी की डाणी जखली रोड, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 352,352/1	465.11 वर्गगज	पूर्व :- जगदीश का मकान पश्चिम:- रास्ता उत्तर :- तिलोकराम की भूमि दक्षिण :- रामचन्द्र का मकान
16	अब्दुल कदम चौहान पुत्र खलील अहमद निवासी इमाम चौक मरिजद के पीछे, मकराना	69-क आवासीय	वार्ड नं. 13	177.77 वर्गगज	पूर्व :- मस्जिद की भूमि पश्चिम:- शबीरजी चौहान का मकान उत्तर :-गेंदजी चौहान का मकान दक्षिण :- सामलाती रास्ता व मकान
17	जमील अहमद पुत्र सुलेमान गहलोत निवासी भिनारा मस्जिद चमनपुरा मकराना	69-क आवासीय	खसरा नं. 586	147.30 वर्गगज	पूर्व :- रास्ता पश्चिम:- चांद मोहम्मद का मकान उत्तर :- सामलाती रास्ता दक्षिण :- असन राण्डजी की भूमि
18	बाबुदीन पुत्र जमाल खां निवासी नूरपुरा कॉलोनी, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 633	465.11 वर्गगज	पूर्व :- सदीक लुहार का मकान पश्चिम:- ताजू खां का मकान उत्तर :- रास्ता दक्षिण :- सलीम लुहार का मकान
19	अब्दुल गफूर पुत्र अब्दुल गनी निवासी लुहारपुरा कॉलोनी, मकराना	कृषि भूमि आवासीय	खसरा नम्बर 787	332.88 वर्गगज	पूर्व :- अरफान की भूमि पश्चिम:- रास्ता उत्तर :- इकबाल का मकान दक्षिण :- रास्ता

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज

अजमेर, (कांस)। क्लक टावर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने थाना क्षेत्र के ही रहने वाले पवन पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज करवाया है।

पीडिता द्वारा थाने पर दी गई शिकायत के अनुसार पवन ने अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे अपने घर रखने की बात कही इस दौरान कई बार आरोपी पवन ने पीडित युवती के साथ दुष्कर्म भी किया। क्लॉक टावर के थानाधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीडित महिला की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसका अनुसंधान जारी है। पुलिस द्वारा तथ्यों के आधार पर जांच के बाद आरोपी युवक पर कार्यवाही की जाएगी।

नाम परिवर्तन

मेरी पत्नी का पुराना नाम VINOD KANWAR था जिसको बदलकर NIRU KANWAR रख लिया है भविष्य में इसी नाम से जाना पहचाना जावे पासपोर्ट नं. P7176377 में दुरुस्त हो MADAN SINGH S/O BHANWAR SINGH गांवडी तहसील डीडडवाना जिला नागौर

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.सी./756	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्री जैकी सिदानो पुत्र श्री ताराचंद सिदानो निवासी ज्ञान विहार कॉलोनी कोटड़ा, अजमेर द्वारा एक पृष्ठ/सम्पत्ति संख्या 05 विस्का ए.एम.सी. नम्बर पुनः 2/463 21/1617 का एक भाग है ए.एम.सी. नं. 44/57 (भाग-1) अर्थात है जो जाके पुष्कर रोड, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 24.05 वर्गफीट भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रथम में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है प्रस्तावित पृ-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व :-नाला पश्चिम :-डुकान संख्या 04 उत्तर:-आम रास्ता पुष्कर रोड दक्षिण:- आम रास्ता संख्या 06	
अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.सी./754	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्रीमती शाना देवी कलाचंद पत्नी श्री ताराचंद कलाचंद एवं श्री कपिल कलाचंद पुत्र श्री ताराचंद कलाचंद निवासीग 44 गौरीगंज पुष्कर रोड अजमेर द्वारा एक पृष्ठ/सम्पत्ति विस्का ए.एम.सी. नम्बर 310/10 का भाग है जो जाके सुन्दर विलास अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 313.66 वर्गफीट भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रथम में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पृ-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व :-श्री बसंत की जायदद पश्चिम :-श्री नानमल जी की जायदद उत्तर:-श्रीमती धनपत कंवर की जायदद दक्षिण:- आम रास्ता 24 चौक	
अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-योजना/2021-22/1389	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित श्रीमती कलिका खन्डवली पुत्री श्री नानमल ने एक पृष्ठ/सम्पत्ति विस्का ए.एम.सी. नम्बर 3/109.94 से श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित के नाम विक्रय कर दिया गया था अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-न.प.कि./PWC/2021/2365	दिनांक:-22.12.2021
अपति सूचना	दिनांक:-22.12.2021
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता पार्लोवाल पत्नी श्री सुनिल पार्लोवाल द्वारा खसरा पत्र नम्बर 369/1, पृष्ठ/सम्पत्ति संख्या 35, अमर्त डीएम, मदनगंज किरानागढ़ क्षेत्रफल 29.33 वर्गगज पर पवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पृष्ठ/सम्पत्ति सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व में :- पुष्कर संख्या 27 पश्चिम में :- 40 आम रास्ता उत्तर में :- पुष्कर संख्या 34 दक्षिण में :- पुष्कर संख्या 36	
अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/पराजय हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पत्र करे वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर परिषद, किरानागढ़	

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.सी./758	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्री अशोक जैन पुत्री श्री रविचंद्र कुमार जैन निवासी रतन कुंज बैंक कॉलोनी नका मदार, अजमेर द्वारा एक पृष्ठ/सम्पत्ति संख्या 12 जो खसरा नम्बर 157 का एक भाग है जो जाके हरीश चन्द पार्क गणेश राजस्थान ग्राम किरानागढ़ अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 260.12 वर्गफीट भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रथम में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है प्रस्तावित पृ-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व :-आम रास्ता 60 रुड चौक पश्चिम :-पुष्कर संख्या 16 उत्तर:-पुष्कर संख्या 13 दक्षिण:- पुष्कर संख्या 11	
अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-योजना/2021-22/1390	दिनांक 06.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 06.01.2022
आनासागर सैक्यूलर रोड योजना का पृष्ठ/संख्या 239 क्षेत्रफल 663.88 वर्गगज श्रीमती विमला केकरमानी पत्नी श्री महेश केकरमानी के नाम से अंतर्गत है। प्रयोधि द्वारा अफिलान्ड आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भूमि के आवासीय से वर्तमान में मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक उद्योग मानचित्र स्वीकृत हेतु (वेस्टमेंट-जी-1-3) आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पृ-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व :-पुष्कर संख्या ए-240 पश्चिम :-238 उत्तर:- आम रास्ता 100 रुड चौक दक्षिण:- आम रास्ता 100 रुड चौक	
अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-न.नि.अ./एम.सी./754	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्रीमती शाना देवी कलाचंद पत्नी श्री ताराचंद कलाचंद एवं श्री कपिल कलाचंद पुत्र श्री ताराचंद कलाचंद निवासीग 44 गौरीगंज पुष्कर रोड अजमेर द्वारा एक पृष्ठ/सम्पत्ति विस्का ए.एम.सी. नम्बर 310/10 का भाग है जो जाके सुन्दर विलास अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 313.66 वर्गफीट भूमि के आवासीय से वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यवसायिक मानचित्र हेतु निर्धारित प्रथम में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित पृ-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व :-श्री बसंत की जायदद पश्चिम :-श्री नानमल जी की जायदद उत्तर:-श्रीमती धनपत कंवर की जायदद दक्षिण:- आम रास्ता 24 चौक	
अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-न.प.कि./PWC/2021/2365	दिनांक:-22.12.2021
अपति सूचना	दिनांक:-22.12.2021
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता पार्लोवाल पत्नी श्री सुनिल पार्लोवाल द्वारा खसरा पत्र नम्बर 369/1, पृष्ठ/सम्पत्ति संख्या 35, अमर्त डीएम, मदनगंज किरानागढ़ क्षेत्रफल 29.33 वर्गगज पर पवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पृष्ठ/सम्पत्ति सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व में :- पुष्कर संख्या 27 पश्चिम में :- 40 आम रास्ता उत्तर में :- पुष्कर संख्या 34 दक्षिण में :- पुष्कर संख्या 36	
अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/पराजय हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पत्र करे वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर परिषद, किरानागढ़	

क्रमांक:-योजना/2021-22/1389	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित श्रीमती कलिका खन्डवली पुत्री श्री नानमल ने एक पृष्ठ/सम्पत्ति विस्का ए.एम.सी. नम्बर 3/109.94 से श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित के नाम विक्रय कर दिया गया था अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-योजना/2021-22/1389	दिनांक 07.01.2022
अपति सूचना	दिनांक 07.01.2022
श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित श्रीमती कलिका खन्डवली पुत्री श्री नानमल ने एक पृष्ठ/सम्पत्ति विस्का ए.एम.सी. नम्बर 3/109.94 से श्रीमती धनवती पत्नी श्री मूलचरित के नाम विक्रय कर दिया गया था अतः जहाँ इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में दोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर निगम, अजमेर	

क्रमांक:-न.प.कि./PWC/2021/2365	दिनांक:-22.12.2021
अपति सूचना	दिनांक:-22.12.2021
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता पार्लोवाल पत्नी श्री सुनिल पार्लोवाल द्वारा खसरा पत्र नम्बर 369/1, पृष्ठ/सम्पत्ति संख्या 35, अमर्त डीएम, मदनगंज किरानागढ़ क्षेत्रफल 29.33 वर्गगज पर पवन निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पृष्ठ/सम्पत्ति सीमाएँ निम्नानुसार है :- पूर्व में :- पुष्कर संख्या 27 पश्चिम में :- 40 आम रास्ता उत्तर में :- पुष्कर संख्या 34 दक्षिण में :- पुष्कर संख्या 36	
अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/पराजय हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पत्र करे वरि निम्न किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।	
अय्ययुक्त, नगर परिषद, किरानागढ़	

क्रमांक:-न.प.कि./PWC/2021/2365	दिनांक:-22.12.2021
अपति सूचना	दिनांक:-22.12.2021
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता पार्लोवाल पत्नी श्री सुनिल पार्लोवाल द्वारा खसरा पत्र	